

29 09 / 21

पत्रावली पेश हुई... P.O. शाहदल का  
आदिवासी... से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
04/10/22 को पेश की जावे।  
P.O.  
[Signature]

04 01 / 22

पत्रावली पेश हुई... आदिवासी... द्वारा  
आदिवासी... से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
03/02/22 को पेश की जावे।  
P.O.  
[Signature]

03 03 / 2022

पत्रावली पेश हुई... डी. विड - 19 की वजह से  
आदिवासी... से... अधिक कार्य स्थायीत  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
03/03/22 को पेश की जावे।  
P.O.  
[Signature]

03 03 / 2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्थी उपस्थित।  
परीकार सरकार जाब हेतु अवसर चाहे हैं  
जो दिया जाकर पत्रावली वास्ते जमाने 25/03/22  
को पेश हो।  
[Signature]  
S.D.O.

No instruction  
pleaded  
[Signature]  
25/3/22

25 03 / 2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्थी व  
परीकार उपस्थित। अधिवक्ता पार्थी द्वारा न्यायालय  
में पेश हो व अधिना - पत्र में कोई आदेश  
आदिवासी नहीं चाहकर No instruction उक्त  
दिया। पार्थी द्वारा पत्रावली में कोई आदेश  
आदिवासी नहीं चाहने से अधिना - पत्र धारा 212  
से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली  
के लाल नुमांदा होकर नम्बर से उभर हो।  
[Signature]

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)